न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—280 / 2023 / 223 आर.टी.एक्ट (2023 / 280)

1. कविता देव पत्नि स्व0 गोविन्दसिंह
2. आदित्य सिंह पुत्र स्व0 गोविन्दसिंह
   समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम खरवा तहसील मसूदा, जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, पीसांगन जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05.03.2021 राजस्व वाद संख्या 50 / 2015.

उपस्थितः—

1. श्री अक्षयनाथ देवडा, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 01

निर्णय

दिनांकः—16.02.2026

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीसांगन द्वारा प्रकरण संख्या 50 / 2015 में पारित निर्णय दिनांक 05.03.2021 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी गोविन्द सिंह पुत्र केशवसिंह जिनका स्वर्गवास दौराने वाद हो गया तथा जिनके वारिस वर्तमान अपीलांटस है, जिन्हें रेकार्ड पर लिया गया ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीसांगन के समक्ष प्रतिवादी / रेस्पोडेंट के विरूद्ध प्रस्तुत किया एवं बाद में अपीलांटस द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 जाब्ता दीवानी के तहत प्रस्तुत किया जिसे परीक्षण न्यायालय द्वारा स्वीकार कर वादपत्र में धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 जोडने की अनुमति प्रदान की गई एवं संशोधित वादपत्र प्रस्तुत करने का आदेश प्रदान किया। यह कि परीक्षण न्यायालय ने वाद पत्र को दिनांक 18.8.2015 को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। जिस पर प्रतिवादी ने जवाबदावा प्रस्तुत किया जिस पर उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन ने आवश्यक तनकीयात कायम किए बिना ही अपने निर्णय दिनांक 5.3. 2021 के द्वारा नॉन स्पीकिंग आदेश से वादी का वाद खारिज फरमाए जाने का आदेश प्रदान कर दिया। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीसांगन द्वारा प्रकरण संख्या 50 / 2015 में पारित निर्णय दिनांक 05.03.2021 जिससे असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी ने वादी द्वारा प्रदत्त साक्ष्य पीडब्ल्यू–1 एवं पीडब्ल्यू–2 को पूर्णतः दरकिनार करते हुए इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि साक्ष्य शपथकर्ता श्रवणलाल पुत्र स्व0 नाथू स्वतंत्र गवाह है एवं उन्होंने अपने बयान में वादी की पैतृक खातेदारी व आधिपत्य की आराजी बताते हुए उक्त आराजीयात पर अपने पूर्वजों के समय से आराजीयात की देखभाल व सार संभाल किए जाने बाबत कथन किए गए है परंतु उपखण्ड अधिकारी ने उक्त साक्ष्य को नजरअंदाज कर वादी का वाद खारिज करने में कानूनी त्रुटि कारित की है। उपखण्ड अधिकारी ने उक्त वाद में आवश्यक तनकीयात कायम किए बिना एवं प्रतिवादी की साक्ष्य एवं जिरह का अवसर प्रदान किए बिना ही केवल मात्र चार लाईन में अपना निर्णय पारित किया है जो आदेश 20 नियम 4 (2 व 5) जा0दी0 के प्रावधानों के विपरीत जाकर वादी का वाद खारिज करने में कानूनी त्रुटि कारित की है इस कारण पारित निर्णय न्याय एवं विधि के विपरीत होने से इस अपील के माध्यम से निरस्त किए जाने योग्य है। उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन ने धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत जो प्रावधान प्रदान किए है उनको ध्यान में रखे बिना ही त्रुटिवश सरकार में निहित वादी की पर्सनल प्रोपर्टी को नहीं सुधारा एव ंना ही इस बाबत किसी प्रकार का कोई आदेश पारित किया है इस कारण से भी पारित आदेश इस अपील के माध्यम से निरस्त किए जाने योग्य है। ग्राम मौजा लीडी भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र बिडक्चियावास तहसील पीसांगन जिला अजमेर की जमाबंदी सम्पत 2070 लगायत 2073 के खाता संख्या 1 की आराजी खसरा नम्बर 2127/4735 रकबा 0.08 है0, 2128 रकबा 1.05 है0, 2130 रकबा 0.81 है0 कुल किता 3 रकबा 1.84 है0 भूमि स्थित है। उपरोक्त वादग्रस्त आराजीयात वादी के दादा श्री गणपतसिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह राजपूत के सन 1958 में निजी सम्पत्ति के रूप में राजस्व रिकार्ड में इंद्राज किए जाने के आदेश दिनांक 9.8.1957 पारित हुए। इसके बावजूद भी परीक्षण न्यायालय ने वादी का वाद खारिज करने में कानूनी त्रुटि कारित की है। वादग्रस्त आराजीयात साबिक खसरा नम्बर 1873 रकबा 23 बीघा 5 बिस्वा से बनी एवं उनके नए नम्बरों के रूप में खसरा नम्बर 2161 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा खसरा नम्बर 2162 रकबा 5 बीघा खसरा नम्बर 2163 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा खसरा नम्बर 2164 रकबा 7 बीघा कुल रकबा 23 बीघा 5 बिस्वा के रूप में बने एवं निजी सम्पत्ति के रूप में पारित आदेश दिनांक 9.8.1957 के तहत अन्य खसरा नम्बर की आराजीयात के साथ साबिक खसरा नम्बर 2873 भी वादी/अपीलांट के दादा के हक में निर्णित हुआ जिसके तहत खसरा नम्बर 2161, 2162, 2163 एवं खसरा नम्बर 2164 वादी के दादा के पक्ष में राजस्व रिकार्ड में इंद्राज होना चाहिए था किंतु खसरा नम्बर 2161 रकबा 4.15 बीघा खसरा नम्बर 2164 रकबा 6.10 बीघा वादी के हक में राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार के दर्ज हो गई किंतु खसरा नम्बर 2162, 2163 एवं खसरा नम्बर 2164 मिन वादी के पक्ष में राजस्व रिकार्ड में खातेदारी का अंकन नहीं होकर सरकारी खाते में दर्ज हो गई इस कारण परीक्षण न्यायालय को धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत उक्त त्रुटि को दुरूस्त करके वादग्रस्त आराजी को वादी/अपीलांट के खाते में दर्ज करनी चाहिए थी परंतु उपखण्ड अधिकारी ने वादपत्र में वर्णित प्लीडिंग के बाहर जाकर जो निर्णय पारित किया है इस कारण पारित आदेश इस अपील के माध्यम से निरस्त किए जाने योग्य है। उपखण्ड अधिकारी ने क्षेत्राधिकार के बिंदु पर इश्यू बनाए बिना वादपत्र खारिज किया है जो कि आदेश 14 नियम 2(2) जा0दी0 के प्रावधानों के विपरीत है जबकि परीक्षण न्यायालय को क्षेत्राधिकार के बिंदु पर प्रथमतः इश्यू बनाना चाहिए था एवं उसका विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण कर निर्णय पारित करना चाहिए था परंतु परीक्षण न्यायालय ने इस कानूनी बिंदु को ध्यान में नहीं रखकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जो निरस्त किए जाने योग्य है। उपखण्ड अधिकारी ने अपने आदेश में

जमाबंदी के कॉलम संख्या 5 में काश्तकार के नाम के आगे आबादी लिखा होना एवं कॉलम नम्बर 8 बंगला लिखा होना, के आधार पर वादी का वाद पोषणीय नहीं होना मानकर खारिज किया गया जबकि उन्हे आदेश 7 नियम 10 जा0दी0 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए उक्त वाद को क्षेत्राधिकार के आधार पर अपने स्वयंविवेक से वाद को खारिज करने के बजाय तनकीयात कायम कर संबंधित न्यायालय को प्रेषित किया जाना चाहिए था परंतु परीक्षण न्यायालय ने आदेश 7 नियम 10 जा0दी0 के प्रावधानों के विपरीत जाकर वादी का वाद खारिज करने में अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग किया है इस कारण पारित निर्णय इस अपील के माध्यम से निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीसांगन द्वारा प्रकरण संख्या 50/2015 में पारित निर्णय दिनांक 05.03.2021 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने जवाब बहस अपील में कथन किया कि राजकीय अभिभाषक ने अपीलांट द्वारा किए गए कथन का खण्डन किया कि वादग्रस्त आराजी चौसाला जमाबंदी से ही आबादी है। अतः खातेदारी दर्ज नहीं की जा सकती। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. हमने उभयपक्षों द्वारा की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि वादी/अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेंट/प्रतिवादी प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों द्वारा की गई बहस पर मनन करते हुए प्रकरण में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज किए जाने के आदेश दिनांक 05.03.2021 को पारित किए गए। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रकरण में अपील प्रस्तुत की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में बिना कोई फाईण्डिंग दिए प्रकरण में वादी का वाद पोषणीय नहीं मानते हुए खारिज किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में आवश्यक तनकीयात कायम किए बिना व वादी को साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने का अवसर प्रदान किए ही प्रकरण में बिना फाईण्डिंग के निर्णय पारित किया गया है, जबकि प्रतिवादी का जवाब प्राप्त होने पर तनकीयात कायम किया जाना आज्ञापक प्रावधान है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है, वह आदेश 20 नियम 4 (2 व 5) जा0दी0 के प्रावधानों के विपरीत है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय **सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश 20 नियम 5** के विपरीत पारित किया गया है, जिसके अनुसार *" न्यायालय हर एक विवाद्यक पर अपने विनिश्चय का कथन करेगा– उन वादों में, जिनमें विवाद्यक की विरचना की गई है, जब तक कि विवाद्यकों में से किसी एक या अधिक का निष्कर्ष वाद के विनिश्चय के लिए पर्याप्त न हो, न्यायालय हर एक पृथक विवाद्यक पर अपना निष्कर्ष या विनिश्चय उस निमित कारणों के सहित देगा।"*

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 के तहत दावे में संशोधन करवाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 136 प्रकरण में जोडी गई परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर भी किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं कर प्रकरण में सरसरी तौर पर निर्णय पारित किया गया है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार योग्य पाई जाती है व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः निर्णय किए जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीसांगन द्वारा प्रकरण संख्या 50/2015 में पारित निर्णय दिनांक 05.03..2021 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वह दावे एवं जवाब दावे के आधार पर प्रकरण में प्रथम तनकी क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार पर निर्मित कर उसका विस्तृत विवेचन करते हुए प्रकरण में पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 16.03.2026 को उपस्थित रहने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 16.02.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर